

न्यायालय-संजय श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अंतर्गत विद्युत
अधिनियम 2003, उज्जैन म.प्र.
विशेष प्रकरण क्रमांक 175/2023

म.प्र.वि.वि.कं.लि., उज्जैन

..... परिवादी

1. अयुब पिता हुसैन खा

..... आरोपीगण

.....00000.....

13.05.2023

प्रकरण आज दिनांक 13.05.2023 को लोक अदालत में पेश।

परिवादी द्वारा श्री प्रकाश चौबे अधिवक्ता उपस्थित।

आरोपी/आरोपीगण अनुपस्थित।

परिवादी की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 के अधिन प्रस्तुत किया गया एवं प्रकट किया गया की परिवादी द्वारा आवश्यक प्रशमन राशि आरोपी/आरोपीगण से प्राप्त कर ली गई है। अतः राजीनामा होने के कारण प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जावे।

सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आरोपी/आरोपीगण के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है। अपराध शमन योग्य है। परिवादी द्वारा प्रशमन राशि प्राप्त कर ली गई है और वह स्वयं मामला नहीं चलाना चाहता है।

अतः विचारोंपरात प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 स्वीकार किया जाता है और मामले की प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आरोपी/आरोपीगण को धारा 135/138 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी/आरोपीगण के विरुद्ध जारी वारंट अदम निवार्ह वापस बुलाया जावे।

प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही पश्चात प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सदस्य

सदस्य

.....

.....

सही/13.05.2023

(संजय श्रीवास्तव)

पीठासीन अधिकारी

खंडपीठ क्रमांक 05

उज्जैन